

फर्द अहकाम

न्यायालय उमरगढ़. आंचे मगरी जामर-लेक

नितेश मर्ग बनाम सीमा मर्ग

मुकदमा संख्या / वर्ष

73 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आह्वा या कार्यवाही	आह्वा विरत रूप से	विशेष विवरण
	31.5.22	माडी की ओर से नाद मत अन्तर्गत धारा 188 ग.डी. ए. 0991 शमीमूलक एड. नारा प्रस्तुत किया गया / रिपोर्ट मिलने से चुकी है दफ्तरी स्टैट से प्रोबोदेमों की तलवी से कर माफकी दिनांक 5.7.22 को पेश हो।/M	
	5.7.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक <u>6.7.22</u> को पेश	
	6/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप हैं। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक <u>21.10.22</u> को पेश हरिवदीपों की शक्ति AD तलवी है <u>21.10.22</u> दिनांक जमा।/M	
	21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक <u>21.12.22</u> को पेश	
		श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जीबनेर को प्रेषित की / जाती है।/M	
	8/12/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. <u>20/2/23</u> को पेश हो।/M	
	20/2/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. <u>27/4/23</u> को पेश हो।/M	
	27/4/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभा. संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. <u>5/9/23</u> को पेश हो।/M	


क्र.सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

5/4/23

पत्रावली के संदर्भ में (प्रकाश पत्रों के अन्तर्गत)
 वापस एवं उनके अधिकारों का अनुपालन।
 वापस एवं उनके अधिकारों को एक-एक कर
 बाल-बाल भावों से लागू करने का समय 5 मिनट
 1 म. हो चुका है। वापस एवं उनके अधिकारों
 का अनुपालन।

व्यक्ति : वापस के वापस अधिकारों का अनुपालन
 उ.र.र. के अन्तर्गत किया जा रहा है।
 पत्रावली के अन्तर्गत अधिकारों का अनुपालन
 का अधिकार का अधिकार है।



वाद पत्र एडमिट करने से पूर्व जाँच बिन्दू

- 1- क्या क्षेत्राधिकार का है? हाँ
- 2- क्या पर्याप्त मुद्रांक है? हाँ
- 3- क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के हेतुक को प्रकट करते हैं? हाँ
- 4- क्या मियाद बाहर है? नहीं
- 5- क्या वाद से संबंधित सभी पक्षकार बनाया गया है तथा सही रूप में अंकित किया गया है? हाँ
- 6- क्या वाद पत्र में निरर्थक बातें लिखी हैं या अन्यथा प्रपंची हैं? नहीं
- 7- क्या सी०पी०सी० के आदेश 7 का पालन किया गया है, हाँ
- 8- क्या दावे के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रमाणीत प्रति संलग्न है? हाँ
- 9- क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबंदी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा है वाद में भूमि अथवा उसका भाग का बैचान अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है? हाँ
- 10- क्या बंटवारे के दावे में समस्त सह खातेदारों को पक्षकार बनाया लिया गया है? हाँ
- 11- क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर पार्टी हैं? हाँ
- 12- क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी हैं? हाँ
- 13- क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की है? नहीं
- 14- क्या वाद पंजिकृत विलेख को निरस्त कराने बाबत है? नहीं
- 15- क्या भूमि विक्रय अनुबन्ध (Agreement to sale) के जरिये हुआ है? हाँ
- 16- क्या वाद ऐसी भूमि से संबंधित है जिसका भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया गया है? हाँ
- 17- क्या दर्ज किया जाना उचित है? हाँ
- 18- केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज नहीं है? नहीं

हस्ताक्षर

(पेशकार अथवा अहममद)